न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–51/2022/75 एल.आर.एक्ट (2022/00051)

1. सुरजकंवर पुत्री मदनसिंह, जाति चारण, निवासी लामगरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. ग्राम पंचायत लामगरा, जरिए सरपंच।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, भिनाय, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956, कार्यालय शिविर प्रभारी, प्रशासन गांवों के संग, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय विरूद्ध निर्णय दिनांक 10.12.2021 राजस्व वाद 2021/236

उपस्थितः–

1. श्री राकेश अरोड़ा, हसन खान, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.
3. रेस्पोडेंट संख्या 01 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः–09.01.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय के आदेश क्रमांकःप्र0गा0के0सं0/शिविर/2021/236 दिनांक 10.12.2021 के विरुद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि कार्यालय शिविर प्रभारी प्रशासन गांवों के संग–2021 उपखण्ड अधिकारी भिनाय क्रमांक/प्र.गा. के.सं./शिविर/2021/236 में पारित आदेश दिनांक 10.12.2021 अंतर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92, में तहसीलदारा भिनाय द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान–2021 के तहत आयोजित शिविरों में तहसील भिनाय के राजस्व ग्रमों में आबादी विस्तार हेतु राजस्थान भू–राजस्व 1956 की धारा 92 के तहत भूमि आरक्षण के प्रस्ताव चैकलिस्ट के समस्त बिंदुओं के संबंध में तथ्यों का सत्यापन करते हुए अभिशंषा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। माननीय शासन उपसचिव, राजस्व ग्रुप–6 विभाग जयपर की अधिसूचना क्रमांक प. 3(17)राज.6/2021/89 जयपुर दिनांक 30.09.2021 द्वारा प्रदत्त अधिकारों की अनुपालना में भविष्य में आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ भूमि उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व 1956 की धारा 92 के प्रावधानानुसार खसरा नम्बर 1113 रकबा 0.01 व खसरा नम्बर 1114 रकबा 0.52 को आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश प्रदान कर दिए। जिससे असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 01 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 579 रकबा 6 बीघा 14 बिस्वा 10 बिस्वांसी, 580 रकबा 4 बीघा 7 बीघा 10 बिस्वांसी, जिसके नवीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

खसरा संख्या 772 मिन 773 मिन, 773 मिन, 557, 558, 559 एवं 580 रकबा 4 बीघा 7 बीघा 10 बिस्वांसी जिसके नवीन नम्बर 554 ,555, 556, 557, 558, 560, 561, 562, 727, 563, 728, 564, 565 बने है एवं जिसके नवीन खसरा संख्या 1108, 1109, 1110, 1112, 1113, 1114 वाके ग्राम लामगरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर स्थित है, जिसका मिलान क्षेत्रफल अपील के साथ प्रस्तुत हैं। उपरोक्त आराजीयात अपीलांट के पूर्वाधिकारी चंडीदान पुत्र कल्याणदान की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजीयात रही है जो कि जमाबंदी सम्वत 2024 से 2027 से प्रमाणित हे एवं चण्डीदान वल्द कल्याणदान के पुत्र मदनसिंह की पुत्री अपीलांट है जिसका वादग्रस्त आराजीयात में मदनसिंह के 1/3 हिस्से में हिस्सा निहित है एवं अपीलांट वादग्रस्त आराजीयात पर स्वयं के निहित हिस्से पर काबिज काश्त चली आ रही हैं राजस्व अभिलेख में उपरोक्त आराजीयात में से खसरा संख्या 556, 562, 563, 565 को वर्किंग जमाबंदी मे राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया एवं जिसके नवीन नम्बर खसरा संख्या 1113 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1114 रकबा 0.52 हैक्टर को अवैधानिक रूप से बिना किसी आधार के राजकीय सिवायचक दर्ज होने से रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरिक्षत दिनांक 10.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी भिनाय द्वारा करते हुए जरिए नामांतरकरण संख्या 915 दिनांक 11.1.2022 को दर्ज किया गया। वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 556, 562, 563, 565 को वर्किंग जमाबंदी में राजकीय सिवायचक दर्ज कर दिया एवं जिसके नवीन नम्बर खसरा संख्या 1113 रकबा 0.01 हैक्टर एवं खसरा संख्या 1114 रकबा 0.52 हैक्टर को अवैधानिक रूप से बिना किसी आधार के राजकीय सिवायचक दर्ज होने से रेस्पोडेंट संखय 1 के नाम आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित दिनांक 10.12.2021 को उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा करते हुए जरिए नामांतकरण संख्या 915 दिनांक 11.1.2022 को दर्ज किया गया, जबकि वादग्रस्त आराजीयात जो कि अपीलांट के पूर्वाधिकारी के खातेदारी की आराजी रही है एवं उपरोक्त आराजीयात को वर्किंग जमाबंदी में बिना किसी आधार के बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के राजकीय सिवायचक दर्ज किए जाने से अपीलांट द्वारा सक्षम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष राजस्व वाद खातेदारी घोषणा व इंद्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा हेतु विरूद्ध रेस्पोडेंट प्रस्तुत किया हुआ है, जो कि उक्त वाद में उपस्थित रहे हैं, जिन्हें विचाराधीन वाद पत्र एवं अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र के बाबत जानकारी होने के उपरांत भी मिथ्या कथन अंकित कर रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा प्रेषित प्रस्ताव पर सहमति अंकन की गई है एवं अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा उपरोक्त आराजीयात को आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने के आदेश पारित किए गए है। उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा अवैधानिक रूप से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत अपीलांट की पूर्वजों की खातेदारी की आराजीयात बाबत स्वयं के न्यायालय में राजस्व वाद विचाराधीन रहते व उक्त बाबत समस्त तथ्यों की जानकारी होने के उपरांत भी बिना प्रार्थी को पक्षकार बनाए प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बिना वादग्रस्त आराजीयात को आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने बाबत आदेश पारित किए है। उक्त अनुपालना में रेस्पोडेंट संख्या 1 के नाम राजस्व अभिलेख में अंकन किया जाकर खातेदारी दर्ज की गई है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 92 के प्रावधानों के विपरीत प्रशासन गांवो के संग अभियान के दौरान जहां एक मात्र सिवायचक आराजीयात

राजस्व अपील प्राधिकारी

Scanned with CamScanner

बाबत अधिग्रहण संबंधित आदेश दिए जाने है, अपीलांट की खातेदारी की आराजी जो कि राजस्व अभिलेख में गलत रूप से सिवायचक की गई है, उपरोक्त आराजीयात को भी आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित किए जाने बाबत आदेश दिनांक 10.12.2021 को पारित किया गया है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 10.12.2021 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने बहस में आगे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय ने तहसीलदार, भिनाय द्वारा धारा 92 के तहत् भूमि आरक्षण के प्रस्ताव चैकलिस्ट के समस्त बिन्दुओ के सम्बन्ध में तथ्यों का सत्यापन करते हुए अभिशंषा सहित प्रस्ताव प्रस्तुत किये है। मान्नीय शासन उपसचिव, राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर की अधिसूचना क्रमांकः प.3(17)राज.6/2021/89 जयपुर दिनांक 30.09.2021 द्वारा प्रदस्त अधिकारो की अनुपालना में आबादी विस्तार प्रयोजनार्थ आरक्षित करने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

6. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया।पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नंबर 1113 रकबा 0.01 है0 एवं खसरा नंबर 1114 रकबा 0.52 है0 वाके ग्राम लामगरा, तहसील भिनाय जिला अजमेर अन्य आराजियात के साथ प्रत्यर्थी संख्या 1 को शिविर प्रभारी द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के तहत आबादी विस्तार हेतु आरक्षित किए जाने के आदेश पारित किए गए है। बरवक्त आक्षेपित आदेश विवादित आराजियात राजस्व रिकार्ड में सिवायचक दर्ज थी, इसी कारण प्रभारी अधिकारी ने विवादित आराजियात को आबादी हेतु आरक्षित किया है। यदि अपीलांट विवादित आराजियात को पूर्व में स्वंय अथवा उनके पूर्वजों की खातेदारी की होना मानते है तो उन्हें सक्षम न्यायालय में खातेदारी उद्घोषणा का अनुतोष प्राप्त करना चाहिये । जब तक अपीलांट विवादित आराजियात बाबत् अपने स्वत्वों की घोषणा समक्ष न्यायालय से नहीं करवा लेते है तब तक अपीलांट को किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त नहीं हो सकता है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज योग्य है।

7. अतः अपील अपीलांटस सारहीन होने से खारिज की जाती है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 09.01.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner